बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संचिका सं०–9/सा0आ०–276/2003
संकल्प

डा0 कलीमुद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुंदपुर, सारण के विरूद्ध सिविल सर्जन, सारण के पत्रांक 1581 दिनांक 13.5.2003 द्वारा प्रतिवेदित है कि वे दिनांक 10.04.99 से बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से प्रस्थान किए । इस बीच इनका स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना सं0 530(2) दिनांक 14.11. 2000 द्वारा हथुआ, गोपालगंज में हुआ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुंदपुर जो देशी पद्धति का अस्पताल है, में देशी पद्धति के चिकित्सक का पदस्थापन भी कर दिया गया। विरमित कर दिए जाने के बावजूद डा0 अहमद ने नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं किया और पूर्व पदस्थापन स्थान से भी बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए डा0 कलीमुद्दीन अहमद को विभागीय अधिसूचना सं0 452(9) दिनांक 9.7.03 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 1053(9) दिनांक 12.11.2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के दौरान निबंधित डाक एवं प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किए जाने के बाद भी डा0 अहमद संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न हीं अपना बचाव बयान समर्पित किया जिसके आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में डा0 अहमद के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. विभागीय अधिसूचना सं0 220(9) दिनांक 24.4.09 द्वारा डा0 अहमद को निलंबन से मुक्त किया गया, फिर भी उनक द्वारा योगदान नहीं किया गया।

4. विभागीय पत्रांक 21(9) दिनांक 08.1.2014 एवं पत्रांक 1122(9) दिनांक 09.12.2014 द्वारा डा0 अहमद से की गई द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में समर्पित प्रत्युतर में उन्होने उल्लेख किया कि वे अपने पिताजी की बीमारी के कारण अवकाश में रहे तथा अवकाश विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करते रहे। डा0 अहमद का बचाव बयान असंतोषजनक है क्योंकि वे बिना विधिवत अवकाश स्वीकार कराए लंबे समय तक (लगभग 17 वर्षो तक) अनुपस्थित रहे, जबकि उन्हें निलंबनमुक्त करते हुए सेवा में योगदान करने का अवसर प्रदान किया गया था। उन्हें निबंधित डाक तथा प्रेसविज्ञप्ति द्वारा भी सूचित किया गया था।

5. अतः डा0 कलीमद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुंदपुर, सारण को दिनांक 10.04.99 से लगातार 5 वर्षो से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने निर्णय लिया गया।

6. तदालोक में डा0 कलीमुद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुंदपुर, सारण को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

<u>आदेश</u>: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांकः 336(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 28/03/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल छपरा/ सिविल सर्जन कार्यालय सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 कलीमुद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुंदपुर, सारण पता–5/159, हारूण नगर कॉलोनी, सेक्टर–2, फुलवारीशरीफ, पटना–801505को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना के उनके पत्रांक 2673 दिनांक 03.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव